अब 'अंतर्राष्ट्रीय कानूनों' को प्रयोग करने का समय है।

लेखक- प्रभाष रंजन

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

द हिन्दू

09 नवम्बर, 2021

भारत अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने के साधन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कानून के पूरी तरह से उपयोग करने में विफल रहा है।

सैन्य विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय संबंध शिक्षाविद और सेवानिवृत्त राजनयिक जैसे लोग भारत में वैश्विक सुरक्षा को लेकर होने वाली बहस में हावी हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के ढांचे के भीतर सुरक्षा मुद्दों को रखे जाने के बावजूद इन बहसों में अंतर्राष्ट्रीय वकील काफी हद तक अनुपस्थित हैं। आज, अंतर्राष्ट्रीय कानून आतंकवाद से लेकर समुद्री सुरक्षा तक के सुरक्षा मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 1(1) "अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा" के रखरखाव को संयुक्त राष्ट्र के एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में मान्यता देता है। सुरक्षा मामलों में अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा निभाई जाने वाली केंद्रीय भूमिका के बावजूद, भारत अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने के साधन के रूप में अंतरराष्ट्रीय कानून के पूरी तरह से उपयोग करने में विफल रहा है।

कई चूकें

हाल के दिनों में, कई उदाहरण ऐसे दिखाई पड़ते हैं जिनमे अपने सुरक्षा हितों को स्पष्ट करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुकूल शब्दावली का उपयोग करने में भारत की विफलता प्रदर्शित होती हैं। सबसे पहले जब फरवरी, 2019 में पाकिस्तान स्थित एक आंतकी संगठन द्वारा आंतकवाद की नृंशस कार्रवाई की गई थी, उसके कुछ दिनों बाद भारत ने पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर हमला किया। उस समय बल प्रयोग को न्यायोचित ठहराते हुए, भारत ने आत्मरक्षा के अधिकार का आह्वान नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान अपनी धरती से सक्रिय आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने में असमर्थ या अनिच्छुक था; बल्कि, यह 'गैर-सैन्य पूर्व कार्रवाई' के सिद्धांत पर निर्भर था।

दूसरा, पुलवामा हमले के बाद, भारत ने पाकिस्तान के *मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन)* के दर्जे को निलंबित करने का फैसला किया। *टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौतों (GATT)* में निहित इस अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत, देश राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर अपने एमएफएन दायित्वों से विचलित हो सकते हैं। इन पंक्तियों के साथ पाकिस्तान के प्रति एमएफएन दायित्व को निलंबित करने के बजाय, भारत ने सभी पाकिस्तानी उत्पादों पर सीमा शुल्क को 200% तक बढ़ाने के लिए, *सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 ए (1)* का इस्तेमाल किया। इस फैसले की अधिसूचना में 'राष्ट्रीय सुरक्षा' का भी जिक्र नहीं था।

तीसरा, भारत रोहिंग्या शरणार्थियों को निर्वासित करना चाहता है, क्योंकि इससे जुड़े लोगों का तर्क है कि ये लोग भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है।

हालाँकि, इस निर्वासन को सही ठहराने के लिए भारत का तर्क यह है कि वह शरणार्थी समझौते का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। यह एक कमजोर तर्क है क्योंकि भारत गैर-प्रतिशोध के सिद्धांत से बंधा है (एक प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून सिद्धांत जो किसी देश को उन देशों में शरणार्थियों को वापस करने से रोकता है जहाँ उन्हें जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, राजनीतिक राय के कारण उत्पीड़न का स्पष्ट खतरा होता है।)। राष्ट्रीय सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी कानून में गैर-शोधन सिद्धांत के अपवादों में से एक है। यदि भारत रोहिंग्याओं को निर्वासित करना चाहता है, तो उसे इन तर्ज पर एक मामला विकसित करना चाहिए जिसमें दिखाया गया हो कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा कैसे बनते हैं।

चौथा, भारत के हितों की सेवा के लिए तालिबान शासन पर दबाव डालने के लिए, भारत ने शायद ही कभी अंतर्राष्ट्रीय कानून का इस्तेमाल किया हो। उदाहरण के लिए, भारत दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपनी निहित शक्तियों का उपयोग करके अफगानिस्तान को सार्क की सदस्यता से अस्थायी रूप से निलंबित करने का मामला बना सकता था।

कहा जा रहा है, ऐसे कुछ उदाहरण हैं जहां भारत ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का इस्तेमाल किया है, जैसे कुलभूषण जाधव मामले में जब उसने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में घसीटा और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून विकसित करने में भी।

अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हाशिये पर रहने के कारण

अंतर्राष्ट्रीय कानून के भारत में विदेश नीति निर्माण के हाशिये पर रहने के कई कारण हैं। सबसे पहले, विदेश नीति निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय वकीलों की मामूली भागीदारी होती है। एक प्रमुख भारतीय अंतरराष्ट्रीय वकील बी.एस. चिमनी का तर्क है, "विदेश मंत्रालय का कानूनी और संधि प्रभाग, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के मामलों पर सरकार को सलाह देता है, उसमें पर्याप्त संख्या बल नहीं है तथा उसकी बड़े पैमाने पर अनदेखी की जाती है"। इसके अलावा, एक अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेषज्ञ के पास एक अंतर्राष्ट्रीय वकील की तुलना में एक सामान्य राजनयिक के रूप में सरकार में शामिल होने के लिए कहीं अधिक प्रोत्साहन है।

दूसरा, विदेश मंत्रालय के अलावा, वाणिज्य और वित्त जैसे कई अन्य मंत्रालय हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के विभिन्न पहलुओं से भी निपटते हैं। उनके पास अंतर्राष्ट्रीय कानून में नगण्य विशेषज्ञता है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन की उपेक्षा की गई है। इस विषय में अत्याधुनिक अनुसंधान करने के लिए बनाए गए संस्थानों में संस्थागत ढांचा औसत दर्जे का है और इससे जुड़े विश्वविद्यालय अनुत्साही नेतृत्व और प्रणालीगत उदासीनता से ग्रस्त हैं। चौथा, भारत के कई उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय कानून विद्वान केवल डोमेन विशेषज्ञों के साथ बातचीत करना पसंद करते हैं।

इस प्रकार, वे अंतर्राष्ट्रीय कानून को जनता के बीच लोकप्रिय बनाने में विफल रहे हैं। यदि भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरना चाहता है, तो उसे कानून को राष्ट्रीय सुरक्षा के हथियार के रूप में इस्तेमाल करना होगा। विदेश नीति निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय कानून को मुख्यधारा में लाने के लिए, भारत को अंतर्राष्ट्रीय कानून पर अपनी क्षमता के निर्माण में बड़े पैमाने पर निवेश करना चाहिए।

GS World
Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. किसी देश की विदेश नीति के निर्धारक तत्व में निम्नलिखित में क्या शामिल हो सकता है?

(a) राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे

(b) राष्ट्रीय आर्थिक हित

(c) भौगोलिक स्थिति

(d) उपर्युक्त सभी

Expected Question (Prelims Exams)

Q. Which of the following may be included in the determining element of a country's foreign policy?

(a) Issues of national security

(b) National economic interest

(c) Geographical location

(d) All of the above

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. 'यदि भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरना चाहता है, तो उसे कानून को राष्ट्रीय सुरक्षा के हथियार के रूप में इस्तेमाल करना होगा।' टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द)

Q. 'If India wishes to emerge as a global power, it has to use law as a weapon of national security.'Comment. (250 Words)

Committed To Excellence

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।